न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 26/2016 **दायरा दिनांक : 05.01.2016**

उनवान

भैरूलाल आयु 70 साल पुत्र देवा जाति भील निवासी डोबडा, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— राधा बाई बेवा श्री रामस्वरूप आयु 30 साल जाति भील निवासी डोबडा, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

2— रविना पुत्री श्री रामस्वरूप आयु 6 साल, नाबालिग जरिये वली राधा बाई बेवा श्री रामस्वरूप, जाति भील निवासी डोबडा, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

3— जमना लाल पुत्र री देवा, आयु 65 साल जाति भील निवासी डोबडा, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

4— धापू बाई पुत्री देवा पत्नी श्री सुखदेव, आयु 70 साल जाति भील निवासी डोबडा, हाल निवासी पीथपुर, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

5— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छीपाबडोद, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री बृजराज सिंह अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 17.06.2019**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडोद के प्रकरण संख्या – 101/2011 निर्णय व डिक्री दिनांक 30.11.2015 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट नम्बर 1 व 2 ने अपीलांट प्रतिवादी व प्रतिवादी रेस्पोडेंट नम्बर 3 व 4 के विरूद्ध एक वाद इस आशय का पेश किया कि वर्तमान आराजी खसरा नम्बर 12 की रकबा 7 बीघा 16 बिस्वा खसरा नम्बर 116 की रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 117 की रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा कुल तीन किता रकबा 19 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम डोबडा, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां में स्थित है जो राजस्व रेकार्ड अपीलांट व रेस्पोडेंट के नाम दर्ज है । जिसमें से रेस्पोडेंट वादी का 1/4 हिस्सा आराजी में अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी मौके पर कब्जे अनुसार विभाजन किया जाकर पृथक से जमीन दर्ज की जावे । किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर कोई ध्यान न देकर रेस्पोडेंट वादी का वाद स्वीकार किया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अपीलांट प्रतिवादी क्रम 1 ने मौखिक बंटवारे के वाद उक्त 4 बीघा 17 बिस्वा में कुआ खुदवाकर उसी में ट्यूवबैल लगाकर आज तक उक्त आराजी पर काबिज काश्त है । उक्त आराजी में कुआ व ट्यूबवैल लगवाने में 2,17,750 रूपया का खर्चा हुआ था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय में इस तथ्य पर कोई ध्यान न देते हुए रेस्पोडेंट वादी 1 व 2 का वाद स्वीकार कर यह भी आदेश दिया कि रेस्पोडेंट वादीगण 1 व 2 विद्युत खर्चा 1/4 हिस्सा अपीलांट को देते हैं कि उक्त ट्यूवबैल से सिंचाई करने की अधिकारी होगी तथा इससे अपीलांट पाबन्द रहेगा । उक्त आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है । उक्त आराजी का बाहमी बंटवारा भी अपीलांट व रेस्पोडेंट 3 व 4 के मध्य हो चुका था जिसको काफी अर्सा हो चुका

है । उक्त बाहमी बंटवारे में अपीलांट के खसरा नम्बर 12 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा हिस्से में आयी थी जिस पर अपीलांट बाहमी बंटवारे के समय से अपने हिस्से पर काबिज काश्त है तथा टयूबवैल भी लगाया हुआ है । रेस्पोडेंट वादीगण 1 व 2 के मन में बदनियती आ जाने के कारण उक्त वाद पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अपीलांट के सहखातेदार रामस्वरूप की मृत्यु हो चुकी है तथा रेस्पोडेंट 1 व 2 द्वारा आराजी का बंटवारा करवाकर उक्त आराजियात को बेचान करने पर आमादा है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.11.2015 अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहन अध्ययन किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों, सबूतों का भली भांति अध्ययन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । जिसमें हम हस्तक्षेप करना उचित समझते हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.11.2015 अपास्त किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 17.06.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा